

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/681

दिनांक:- २४-९-१५

—:: कार्यालय आदेश ::—

आवासन आयुक्त महोदय द्वारा सप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के कम में आवासन मण्डल की बहुमंजिलिये आवासीय परिसरों में विधिवत् निर्वाचित आरडब्ल्यूए को प्रदत्त किये जाने वाले अधिकारों एवं उनके उत्तरदायित्वों के संबंध में तथा परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के रख-रखाव के संबंध पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है जिसमें निम्नालिखित सदस्य होंगे:-

1. सम्पदा प्रबंधक (मु0)
2. उप वित्तीय सलाहकार
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय


समिति अपने सुझाव/प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करेगें, ताकि आगामी बैठक में निर्णय लिया जा सकें।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-~~कोन्नूर~~, राजस्थान आवासन मण्डल, ~~कोन्नूर~~ ७४५४८
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-~~कोन्नूर~~, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक